अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम ब... ...पुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक ... ...पुर

1. भौरया पुत्र महादेव
जाति ब्राहमण निवासी
किशनपुरा तह. बस्सी।
1/1 गुल्ली पत्नि बेवा भौरया (फौत)
1/2 मूलचन्द पुत्र भौरया(मृतक)
2/1 राधा देवी बेवा मूलचन्द
2/2 कैलाश पुत्र स्व. मूलचन्द
2/3 कालू पुत्र स्व. मूलचन्द
2/4 किशन पुत्र स्व. मूलचन्द
2. रामजीलाल पुत्र स्व. भौरया
3. हनुमान पुत्र स्व. भौरया
समस्त जाति हरि. ब्राहमण निवासी
किशनपुरा तह. बस्सी।

बनाम

1. नानगराम पुत्र ... (...त)
दत्तक पुत्र छीतर
2. कैलाश पुत्र नानगराम
3. जगदीश पुत्र नानगराम
4. रामचरण पुत्र नानगराम
5. राजू पुत्र नानगराम
जाति ब्राहमण निवासी बस्सी
तह. बस्सी।
6. जुगलकिशोर पुत्र नानगराम
निवासी बस्सी तह. बस्सी।

मुकदमा नम्बर 298/16

दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 20.02.2018

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का भूमि ख.नं. 76/4 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा ग्राम किशनपुरा तह. बस्सी के संबंध में पेश किया है जिसमें अंकित है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण कदीम से अपने बुजुर्गों के समय से बहैसियत खातेदार काश्तकार काश्त करते चले आ रहे है, एवं लगान जमा कराते चले आ रहे है। वादग्रस्त ख.नं. 76/4 के साबिक ख.नं. 136, 137/1, 137/2 थे। उक्त नम्बरान को वादीगण के बुजुर्गान बहैसियत खातेदार काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन वरवक्त बन्दोबस्त संवत 2015 में उक्त ख.नं. पर छीतर पुत्र मंगला का नाम बतौर राहिन एवं वादीगण के पिता महादेव का नाम बतौर मूर्तहीन गलत रुप से दर्ज कर दिया जबकि उक्त भूमि वादी के पिता महादेव के यहां कभी रहन नहीं थी, राहिन मूर्तहीन का इन्द्राज सर्वथा गलत अंकित किया गया है। आराजी वादग्रस्त से प्रतिवादी सं. 1 व उनके पिता छीतर का कोई संबंध नही रहा है न ही वे उक्त भूमि के कभी खातेदार काश्तकार रहे न उनका कभी कब्जा ही रहा है। प्रतिवादी ग्राम किशनपुरा के निवासी भी नही है। स्वयं छीतर ने वादग्रस्त भूमि के संबंध में एक वाद बाबत बेदखली उप जिलाधिकारी जयपुर के यहां वादी के दादा महादेव के खिलाफ किया था, जिस वाद को न्यायालय ने छीतर का कोई अधिकार न मानते हए दिनांक 25.02.1969 को खारिज हो गया एवं कब्जा खातेदारी मिन वादी के बुजुर्गो की ही मानी गयी। प्रतिवादी नानगराम का छीतर पुत्र मंगला से कोई संबंध कभी नहीं रहा। लेकिन नानगराम ने गलत रुप से छीतर का दत्तक पुत्र बनते हुए नामान्तरकरण अपने नाम से दिनांक 16.07.1976 को खुलवा लिया। जिसका प्रतिवादी को कोई अधिकार नही था। दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा डिक्री फरमाया जाकर वादी को दावे के मद नं. 1 में वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में रहन मुर्तहीन के इन्द्राज को हटाकर दुरुस्त किया जावे। दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत निषेधाज्ञा डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को वादी की दावे के मद नं. 1 में वर्णित कब्जे व खातेदारी की भूमि से प्रतिबन्धित किया जावे कि वे वादी के ... प्रकार दखल न देवें।

राहिन मूर्तहीन का इन्द्राज भी समयावधि पूरी होने पर दुरुस्त करा दिया था। कब्जा काश्त प्रतिवादीगण का चला आ रहा है। वादी ने अपने दावे में उनवानी भौरया पुत्र महादेव लिखा हुआ है फिर वादी रामसहाय का पुत्र कैसे हो सकता है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 के बीच सन् 1970 से मुकदमें बाजी चली आ रही है। जहां सभी जगह वादी ने अपने आपको मोरगेजी माना है। दिनांक 16.07.1976 को तहसीलदार बस्सी द्वारा आराजी [illegible] रहन से मुक्त किये जाने, नामान्तरकरण प्रतिवादी सं. 1 के हक में किये जाने तथा मूर्त[illegible] में मुजाहमत न करने के लिये पाबंद किया गया था। दिनांक 10.09.1976 को पंचा[illegible]तिवादी सं. 1 के नाम नामान्तरकरण तस्दीक हो गया था। वादी के द्वारा कब्जा न छोड़े[illegible] पर दिनांक 14.02.1978 को तहसीलदार ने आदेश से प्रतिवादीगण को मौके पर कब्जा संभ[illegible]। जिसकी अपील वादी ने अतिरिक्त जिलाधीश को की जो कि खारिज हुयी। उसकी निग[illegible]यं वादी ने राजस्व मण्डल मे कर रखी है। ये तथ्य छिपाकर दावा किया है जो खारिज होने [illegible] है।

पक्षकारान के अभिवचनों पर न्यायालय द्वारा दिनांक 30.04.1992 को निम्न प्रकार तनकीयात बनाई गई है।

1. आया वादीगण बुजुर्गो के समय से आराजी ख.नं. 76/4 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम किशनपुरा पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काश्त करते चले आ रहे है।

वादीगण

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने संवत 2009 से 2040 तक की गिरदावरियां प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा उक्त विवादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा साबित करने की कोशिश की है। तथा वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व से ही आराजी वादग्रस्त पर अपना कब्जा गिरदावरियों के माध्यम से बताते है। तथा अपने आपको खातेदार घोषित करा लेना चाहते है। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में मूर्तहीन व राहिन का इन्द्राज है तथा उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड के आधार पर वादीगण के यहां रहन रखी हुई थी और रहन की संपति पर वादीगण को खातेदारी अधिकार किसी भी प्रकार प्राप्त नहीं हो सकते। वादीगण ने गिरदावरी संवत 2013 में जो ख.नं. है उनका विवादग्रस्त आराजी के ख.नं. से किसी भी प्रकार से संबंध स्थापित नहीं होता है और वादीगण ने उक्त आराजी का मिलान क्षेत्रफल भी पेश नहीं किया है। यहां प्रतिवादी रिकोर्डेड खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिस पर रहन के इन्द्राजात के आधार पर वादीगण उक्त आराजी पर काबिज काश्त व खातेदारी किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि मात्र खसरा गिरदावरियों के आधार पर खातेदारी अधिकार घोषित नहीं की जा सकती क्योंकि खसरा गिरदावरी कोई राजस्व रिकोर्ड नहीं है। यह माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्टतः अपने निर्णय आर. आर.डी 2000 पेज 95 में प्रतिपादित किया है। उसके बाद यही मत राजस्व मण्डल द्वारा पारित अपने निर्णय में दिये गये जो निर्णय आर.आर.डी. 2005 पेज 509 पर है। उसमें भी खसरा गिरदावरी को राजस्व रिकार्ड नहीं माना है तथा कहा है कि उसके आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। यहां वादीगण ने बुजुर्गो के समय से कब्जा काश्त दर्शाते हुए लम्बे कब्जे व प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित करा लेने के लिये अनुतोष चाहा है। माननीय राजस्व मण्डल पीठ द्वारा अपनी नजीर गोमाराम व अन्य बनाम अब्दुल वहीद की अपील का निर्णय करते हुये यह

पर रिपोर्ट हुआ है। इसी प्रकार [illegible] व अन्य बनाम सीताराम व अन्य का रेफरेन्स निर्णय करते हुये व्यवस्था दी है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है जिसके अंतर्गत प्रतिकूल कब्जे(एडवर्स पेजेशन) के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हो। काश्तकारी अधिनियम से संबंधित मामलों पर परिसीमा अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। यह निर्णय 2011(2)आर.आर.टी पेज नम्बर 721 पर रिर्पोट हुआ है। इस नजीर के अंतर्गत स्पष्ट रुप से यह मत व्यक्त किया है कि किसी भी अतिक्रमी को खातेदारी अधिकार काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकुल कब्जे के आधार पर नहीं दिये जा सकते तथा प्रतिकूल कब्जे का कानून इस पर लागू नहीं किया जा सकता है। यह मत नजीर 2007(1) आर.आर.टी(s.c) पेज नम्बर 311में सर्वोच्य न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया है। इस पूर्ण पीठ राजस्व मण्डल ने इस विस्तृत निर्णय के अस्तित्व में वादीगण का वाद पोषणीय नही रहता है इसी प्रकार प्रतिकूल कब्जे पर अनेक नजीर सभी न्यायालयों की आयी है, जिसमें राजस्व मण्डल द्वारा उनवानी नाथू बनाम लाल शंकर व अन्य की अपील का निर्णय करते हुये यह व्यवस्था दी है कि एडवर्स पजेशन प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदाय नहीं है। यह निर्णय 2017 आर.आर.डी. पेज 352 पर रिर्पोट हुआ है। इस प्रकार उपरोक्त सिद्धांतों पर वादीगण को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित नही किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादग्रस्त आराजी के संबंध में वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे वादीगण की खातेदारी स।बित हो। वादीगण उक्त तनकी अपने पक्ष में सिद्ध नहीं कर सके है तनकी नम्बर 1 का निर्णय प्रतिवादीगण के हक में किया जाना विधि सम्मत है।

2. आया ख.न. 76/4 के साबिक ख.नं. 136, 137/1, 137/2 थे एवं वरवक्त बन्दोबस्त संवत 2015 उक्त नम्बरान के लिये छीतर पुत्र मंगला का नाम बतौर राहिन व वादी का नाम बतौर मुर्तहीन गलत रुप से दर्ज हो गया। जबकि छीतर आदि का उक्त आराजी से कोई संबंध नही रहा।

वादीगण

उक्त तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर है जिसके संबंध में वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य खसरा गिरदावरियों के माध्यम से अपना कब्जा विवादग्रस्त आराजीयात पर साबित करने की कोशिश की है। वादीगण बहस में कब्जा संवत 2009 से लगातार बताकर चले आ रहे है। प्रतिवादीगण का उक्त तनकी के संबंध में कथन है कि दिनांक 16.07.1976 को तहसीलदार बस्सी द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात को रहन से मुक्त किये जाने, नामान्तरकरण प्रतिवादी सं. 1 के हक में किये जाने तथा मूर्तहीन को काश्त में मजाहमत न करने के लिये पाबंद किया गया था। दिनांक 10.09.1976 को पंचायत द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के नाम नामान्तरकरण तस्दीक हो गया था। वादी के कब्जा न छोडे जाने पर दिनांक 14.02.1978 को तहसीलदार साहब के आदेश से प्रतिवादी को मौके पर कब्जा संभलाया गया जिसकी निगरानी स्वयं वादी ने राजस्व मण्डल में कर रखी है। उसका निर्णय पत्रावली में उपलब्ध है। वादीगण ने विवादग्रस्त आराजीयात की ऐसी कोई भी जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की गई जिससे यह साबित हो कि भूमि रहन नहीं थी अथवा मूर्तहीन गलत रुप से दर्ज था। वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों से यह साबित है कि वादग्रस्त भूमि वादी के पूर्वजों के पास रहन रखी हुई थी। वादी द्वारा प्रस्तुत गिरदावरियों से वादी की खातेदारी साबित नहीं होती। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश

जाना विधि सम्मत है।

3 आया नानगराम ने अपने आपको गलत रुप से छीतर का दत्तक पुत्र बताकर नामान्तकरण दिनांक 6.07.1976 को अपने नाम खुलवा लिया। जिसका प्रतिवादीगण आदि को कोई अधिकार नहीं था। वास्तव में वादीगण ही उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार है।

वादीगण

उक्त तनकी साबित करने का भार वादीगण पर ही था। तनकी सं. 3 तनकी सं. 1 व 2 से जुडी हुई है। ग्राम पंचायत ने उक्त विवादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में दिनांक 10.09.1976 को तस्दीक किया है। वादीगण द्वारा दत्तक के संबंध में ऐसा कोई सबूत पेश नही किया जिससे यह साबित हो की दत्तक का नामान्तरकरण गलत खुला हो। यदि वादी को दत्तक संबंधी किसी प्रकार की आपत्ति है तो वह सिविल न्यायालय में अपना पक्ष रख सकता हैं। वादीगण उक्त तनकी को साबित नही कर पाये। उक्त तनकी नं. 3 का निर्णय भी प्रतिवादीगण के हक में किया जाना विधि सम्मत है।

4. आया प्रतिवादीगण नाजायज रुप से वादीगण को बेदखल करने की चेष्टा करते है। जबकि वादीगण ही उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार है। इसलिये प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी है।

वादीगण

उक्त तनकी साबित करने का भार भी वादीगण पर ही है। वादीगण ने कहा कि पूर्वजो के समय से हम वादग्रस्त भूमि पर काबिज है तथा वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी अथवा उसके पिता छीतर का कोई संबंध नहीं रहा है। ना ही वे उक्त भूमि के कभी काश्तकार रहे। यहां प्रतिवादीगण का मत व कथन है कि यह तनकी पूर्व की तनकी से जुडी हुयी है। वादीगण के पूर्वज द्वारा कब्जा न छोडे जाने पर स्वयं तहसीलदार ने वादीगण को मौके से बेदखल किया है तो उक्त दिवस के पश्चात वादीगण किस हैसियत से उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। यहां वादीगण केवल अपने आपको प्रतिकूल कब्जे, लम्बे कब्जे व रहन, मूर्तहीन में अंकन के आधार पर खातेदार घोषित कराना चाहते है जो विधि सम्मत नहीं है। दिनांक 16.07.1976 से प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकोर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। किसी भी खातेदार काश्तकार के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इसलिये वादीगण उक्त तनकी भी साबित करने में नाकाम रहें है। उक्त तनकी नम्बर 4 का निर्णय भी प्रतिवादीगण के हक में किया जाना विधि सम्मत है।

5. आया वादीगण आराजी ख.नं. 76/4 पर राहिन मुर्तहीन थे तथा दिनांक 16.06.1976 को बरुये वसीयतनामा छीतर पुत्र मंगला की खातेदारी की उक्त भूमि का नामान्तरकरण नानगराम के नाम खुल गया तथा दिनांक 14.02.1978 को कब्जा भी नानगराम को मिल चुका है। लिहाजा नानगराम ही उक्त आराजी का काबिज खातेदार काश्तकार है।

प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण का यह पूर्व की तनकियों में कथन रहा है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व से मुकदमें चल रहे थे। सभी जगह वादीगण ने अपने आपको मुर्तहीन माना है। वादी ने दिनांक 21.04.1962 को एक प्रार्थना पत्र सहायक भू प्रबंध अधिकारी को पेश किया व रहन इन्द्राज करने का निवेदन किया है

के प्रभाव में आने पर प्रतिवादीगण के पक्ष में खातेदारी दर्ज हो गयी है। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड से यह बखूबी साबित है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पास मूर्तहीन थी एवं वर्ष 1976 में रहन मुक्त दर्ज की गई। तब से प्रतिवादीगण के पूर्वज छीतर से लगातार खातेदारी प्रतिवादीगण को मिलती आ रही है। यह तनकी भी पूर्व तनकी से जुडी हुई है क्योकि वादीगण केवल प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपने आपको खातेदार घोषित नहीं करवा सकते है। वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 के फौत हो जाने पर प्रतिवादीगण 2 लगायत 6 के पक्ष में व अन्य के पक्ष में नामान्तरकरण खुला है। यहां जमाबंदी से यह साबित है कि नानगराम व उसके वारिस उक्त विवादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं दिनांक 14.02.1978 से काबिज है। अतः तनकी सं. 5 का निर्णय प्रतिवादीगण के हक में किये जाने योग्य है।

6. आया दिनांक 16.07.1976 के नामान्तरकरण व दिनांक 14.02.1978 के कब्जे संबंधी आदेश की निगरानी वादीगण ने राजस्व मंडल में पेश कर रखी है। वादीगण ने इस तथ्य को छुपाया है व समान पक्षकारों के मध्य समान तथ्यों पर दुबारा दावा नहीं लाया जा सकता, इसलिये दावा खारिज होने योग्य है।

प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को साबित करने का भार भी प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण का कथन है यह तनकी की पूर्व की तनकियां 1, 2, 3, 4, 5 से जुडी हुयी है। यहां यह स्वीकृत तथ्य है कि वादी ने यह दावा दिनांक 30.07.1985 को प्रस्तुत किया है उस समय दिनांक 30.04.1992 के राजस्व मण्डल के निर्णय के अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि दावा प्रस्तुत करने पर दिनांक 16.07.1976 व 14.02.1978 के आदेश की निगरानी माननीय राजस्व मण्डल में जैरकार थी जो वादीगण ने प्रस्तुत कर रखी थी। यह तनकी प्रतिवादीगण के हक में किये जाने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन एवं वकील उभय पक्ष की वाद पत्र पर की गई बहस पर मनन करने एवं वकील पक्षकार द्वारा प्रस्तुत कानुनी नजीरो का अध्ययन करने तथा वकील उभय पक्ष द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों पर मनन करने के पश्चात वादग्रस्त भूमि खं. नं. 76/4 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा स्थित ग्राम किशनपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर के संबंध में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के यहां रहन रखी हुई थी। वादीगण केवल मात्र लम्बे कब्जे या प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मौखिक साक्ष्य के माध्यम से खातेदारी घोषित करना चाहते है, जिसका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल पीठ द्वारा नजीर उनवानी भौरी देवी बनाम गोपाल व अन्य का अपील का निर्णय करते हुये यह व्यवस्था दी है कि कब्जा से तात्पर्य केवल मौका कब्जा से नहीं है वरन विधिक रुप से भी खातेदार होना आवश्यक है। किसी भी अतिचारी को केवल एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी प्रदान नही की जा सकती। राजस्व मण्डल के इस विस्तृत निर्णय के अस्तित्व में वादीगण का वाद पोषणीय नहीं रहता है। इसी प्रकार वादीगण अपना वाद साबित नहीं कर सके है। वादीगण को अपना दावा तनकी सं. 1, 2, 3, 4, के द्वारा साबित करना था लेकिन वादीगण उक्त तनकियां साबित नहीं कर पाये है। माननीय राजस्व मण्डल पीठ द्वारा नजीर उनवानी राजस्थान राज्य बनाम सफी है व अन्य की अपील का निर्णय करते हुए यह व्यवस्था दी है कि दीवानी संहिता के आदेश 20 नियम 5 के तहत सभी तनकीयात पर विस्तृत निर्णय पारित करना आवश्यक नहीं केवल मुख्य तनकी जिससे वाद का सुचित निर्णय हो जाता है पर ही विस्तृत निर्णय दिया जाना पर्याप्त है। तनकी नम्बर 1, 2, 3, 4 को वादीगण द्वारा साबित करना था परन्तु वादीगण [illegible]

उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण के यहां पर रहन रखी हुई थी तहसीलदार बस्सी द्वारा वादग्रस्त भूमि को रहन मुक्त कर वादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर प्रतिवादीगण को कब्जा दिलाया गया था और वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार मांग रहा है तथा वादीगण के संबंध में न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकियां भी वादीगण अपने पक्ष में सिद्ध नहीं कर पाये। रिकार्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि को नियमानुसार रहन मुक्त कर प्रतिवादी की खातेदारी दर्ज की गई है एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादीगण को कब्जा दिलाया गया है। वादीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया जिससे उनके पक्ष में खातेदारी साबित हो सके। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी के संबध में वादी रहन रखी गई भूमि पर एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर जो खातेदारी अधिकार मांग रहा है वह दिया जाना न्यायोचित नहीं समझते हैं। अतः वादग्रस्त भूमि के संबंध में वकील वादी का वाद पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.2.18

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी
सहायक कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

अंतिम डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.

दीपाली भगोतिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

1. भौरया पुत्र महादेव
   जाति ब्राहमण निवासी
   किशनपुरा तह. बस्सी।

1/1 गुल्ली पत्नि बेवा भौरया (फौत)
1/2 मूलचन्द पुत्र भौरया(मृतक)
2/1 राधा देवी बेवा मूलचन्द
2/2 कैलाश पुत्र स्व. मूलचन्द
2/3 कालू पुत्र स्व. मूलचन्द
2/4 किशन पुत्र स्व. मूलचन्द

2. रामजीलाल पुत्र स्व. भौरया
3. हनुमान पुत्र स्व. भौरया
   समस्त जाति हरि. ब्राहमण निवासी
   किशनपुरा तह. बस्सी।

बनाम

1. नानगराम पुत्र रामगोपाल(फौत)
   दत्तक पुत्र छीतर
2. कैलाश पुत्र नानगराम
3. जगदीश पुत्र नानगराम
4. रामचरण पुत्र नानगराम
5. राजू पुत्र नानगराम
   जाति ब्राहमण निवासी बस्सी
   तह. बस्सी।
6. जुगलकिशोर पुत्र नानगराम
   निवासी बस्सी तह. बस्सी।

दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 20.02.2018

मुकदमा नम्बर 298/16

वादग्रस्त भूमि के संबंध में वकील वादी का वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।...............निजी.................मुबलिक.....................बाबत...खर्चा......... .... इस मुकददमें का मय सूद वगैरह..................फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.........................को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.02.2018 को जारी किया गया।

दस्तख्त........ 20.2.18

मोहर

ओहदा..............................

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी		
दावा			दावा		
स्टाम्प			स्टाम्प		
बकालतनामा			बकालतनामा		
स्टाम्प वहत			स्टाम्प वहत		
सबूत			सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर